

04/2/21

2016
00151

क्याकली चेश हुई। अखिरकत उमय
पक्ष अणुयल्लिरी न्यायलय समय के
रुक-रुक कर करे वारा आवाज लागी
गरे। अखिरकत प्रार्थित एवं पार्थित
स्वयं उचालित नही हुए तथा अखिरकत
विश्रीगत एवं विश्रीगत स्वयं उचालित
नही हुए। डितः प्रकार अखिरकत आदेश
09 नियम 03 जा. दी. के तहत खरीज
किर्या जाती है। क्याकली कालम शुमार
होका लम्बा से कम है।



(श्याम सुन्दर विशनोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)